

- किस्म दस्तावेज - बैनामा
 → भूमि का प्रकार - आवासीय
 → मौहल्ला - नारायन सिटी, मौजा कलवारी, तहसील व जिला आगरा
 → सम्पत्ति का विवरण - एक किता भवन जो प्लॉट संख्या ----- खसरा संख्या 111मि0 पर बना है
 → मापन की इकाई - वर्गमीटर
 → सम्पत्ति का क्षेत्रफल - वर्गमीटर
 → सड़क की स्थिति - मीटर चौड़ी सड़क
 → अन्य विवरण - दो रोड
 पार्क फेस
 → सम्पत्ति का प्रकार - आवासीय मकान कि जो एक मंजिल बना है।
 → कुल आच्छादित क्षेत्रफल - वर्गमीटर (मुमटी सहित)
 → विक्रीत कीमत - / - रुपया
 → सरकारी मालियती - / - रुपया
 → सर्किल रेट वास्ते जमीन - / - रुपया प्रति वर्गमीटर जो दर सूची के पेज नंम्बर पर दर्ज है।
 → निर्माण की दर - / - रुपया प्रति वर्गमीटर आर0सी0सी0 का निर्माण होने के कारण
 → स्टाम्प - / - रुपया

→ प्रथमपक्ष की संख्या - (एक) बिक्रेता का विवरण -

- 1- नारायन बिल्डकान द्वारा पार्टनर मुकेश कुमार अग्रवाल पुत्र श्री राधे लाल अग्रवाल निवासी जी-15, रमन टॉवर संजय प्लेस आगरा (आयकर स्थाई लेखा संख्या - ए ए एल एफ एन 3388 बी) (U P RERA PRJ9950)

→ द्वितीयपक्ष की संख्या - (एक), क्रेता का विवरण -

- 1- श्री पुत्र श्री निवासी
 (आयकर स्थाई लेखा संख्या -)

जो कि एक किता भवन नम्बरी जो प्लॉट संख्या खसरा संख्या 111मि0 पर बना है मय जमीन जेरीन वतादाद वर्गमीटर वाके नारायन सिटी, मौजा कलवारी, तहसील व जिला आगरा कि जो संलग्न नक्शे में रंग लाल से साफ तौर पर जाहिर किया गया है जिसका कुल कवर्ड क्षेत्रफल वर्गमीटर है, मय जुमला हक हकूक मुतालिका मकान हाजा निम्न सीमांकित -

दिशा	नाप	सीमा
पूरव		
पश्चिम		
उत्तर		
दक्षिण		

विदित हो कि उपरोक्त मकान की जमीन जेरीन को प्रथमपक्ष ने अन्य जमीन सहित वजरिये बैनामा नविस्ता नवयुग सहकारी आवास समितिलि0 आगरा मौसूमा प्रथमपक्ष जिसकी रजिस्टरी कार्यालय उप निवन्धक -2 आगरा के यहां वही संख्या 1 जिल्द सफा दस्तावेज नम्बर दिनांक को विधिवत दर्ज रजिस्टर्ड हुई है है, के खरीद किया और कब्जा व दखल प्राप्त किया और मालिक व काबिज बने कि जिस पर प्रथमपक्ष ने उपरोक्त वर्णित मकान का निर्माण कराया है जो पूर्ण रूप से फिनिशड है।

विदित हो कि इस प्रकार प्रथमपक्ष उक्त भवन के एक मात्र मालिक काविज चले आते हैं कि जिसमें सिवाय प्रथमपक्ष के अन्य कोई दीगर व्यक्ति हकदार व हिस्सेदार वगैरा किसी प्रकार का नहीं है। उक्त मकान प्रथमपक्ष की तरफ से आज की तारीख तक हर प्रकार के ऋण, बिक्रय, दान, जमानत, सौदे, दावे, झगड़े, इक्यूटेविल मोरगेज व हर प्रकार की देनदारियों व जिम्मेदारियों आदि से पाक व साफ है। जिसकी जमीन नजूल या राजकीय आस्थान की सम्पत्ति नहीं है और न ही राज्य सरकार द्वारा किसी योजना में अधिग्रहित है और न कोई मुआवजा प्रथमपक्ष या अन्य ने प्राप्त किया है।

विदित हो कि प्रथमपक्ष को उक्त वर्णित मकान का बिक्रय करना मिलने कीमत माकूल वक्त मौजूदा एवं व फायदा खुद के मन्जूर है, द्वितीयपक्ष उक्त मकान को अपने लिये उपयोगी पाते हुये माकूल कीमत पर क्रय करने को तैयार है जिसमें प्रथमपक्ष का पूरा पूरा लाभ है अतः प्रथमपक्ष को उक्त मकान का विक्रय करना द्वितीयपक्ष के हक में मन्जूर है।

लिहाजा विक्रेता प्रथमपक्ष ने अपनी अपनी राजी व खुशी से खूब सोच व समझकर बिना बहकाये व सिखाये व बिना दवाव किसी नाजायज के इन्द्रियों की ठीक दशा में उक्त वर्णित मकान को साथ तमाम हदूद व हकूक मालिकाना के व बिना छोड़े किसी हक व शै व जुज शै के बिल एवज मुवलिगरुपया कि आधे जिसकेरुपया होते हैं वदस्त- उक्त क्रेता द्वितीयपक्ष के हक में पूर्ण आधिपत्य व स्वामित्व व गुड टायटिल सहित वैय कतई किया और बेच दिया।

विदित हो कि प्रथमपक्ष विक्रेता ने कीमत का कुलरुपया क्रेता द्वितीयपक्ष से निम्न विवरण के अनुसार प्राप्त कर लिया है -

चैक आदि	दिनांक	तादादी	बैंक
कुल योग			

इस तरह अब प्रथमपक्ष को क्रेता द्वितीयपक्ष से कुछ पाना बाकी नहीं रहा और न आयंदा होगा। उपरोक्त धनराशि में से भूमि की कीमत/- रुपया प्राप्त की है व निर्माण की कीमत/- रुपया जी0एस0टी0 सहित प्राप्त की है

लिहाजा कब्जा व दखल मालिकाना विक्रीत मकान पर विक्रेता प्रथमपक्ष ने मानिन्द अपने क्रेता द्वितीयपक्ष का करा दिया और द्वितीयपक्ष को विक्रीत मकान का तन्हा मालिक व स्वामी बना दिया। अब आज की तारीख से बिक्रीत मकान में प्रथमपक्ष विक्रेता व उनके वारिसान का कुछ हक व हिस्सा किसी प्रकार का बाकी नहीं रहा और न आयंदा होगा तथा क्रेता द्वितीयपक्ष को हक व अधिकार है कि वह विक्रीत मकान से वहैसियत मालिक के चाहे जिस प्रकार लाभ उठावे, उसमें हस्व मन्शा अपने चाहे जिस प्रकार नव-निर्माण, संशोधन, परिवर्तन आदि करावे और चाहे जैसे अपने इस्तेमाल में लावे और विक्रीत मकान को द्वितीयपक्ष वक्त जरूरत रहन, वैय व हिदै आदि जो चाहे सो करे और जरिये बैनामा हाजा अपने नाम का इन्द्राज कागजात सरकारी में वहैसियत मालिक के दर्ज करा ले, प्रथमपक्ष उक्त विक्रेता अपनी पूर्ण सहमति प्रदान करते हैं।

यह कि यदि प्रथमपक्ष के टायटिल में भविष्य में कोई कमी पाई जाती है तो उसे दूर करने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रथमपक्ष का होगा।

विदित हो विक्रीत मकान पर आज की तारीख तक बकाया टैक्स व चार्ज को अदा करने की जिम्मेदारी विक्रेता प्रथमपक्ष की है और आज के बाद की द्वितीयपक्ष की होगी।

विदित हो कि उपरोक्त भवन को द्वितीयपक्ष ने भवन का नक्शा, निर्माण सामिग्री व निर्माण की गुणवत्ता व जमीन के कागजात को देख कर व परखकर व पूर्ण रूप से संतुष्ट होकर क्रय किया है।

विदित हो कि स्टाम्प एक्ट की धारा 27(1) के प्राविधान का पूर्ण पालन किया गया है। खर्चा बैनामा हाजा स्टाम्प, फीस व अन्यने वहन किया है। प्रथमपक्ष ने उक्त मकान के पुराने असल कागजात की छायाप्रतियां द्वितीयपक्ष के हवाले कर दी हैं।

लिहाजा यह बैनामा हस्व हिदायत पक्षकारान के लिख दिया कि सनद रहे व समय पर काम आवे। तहरीर तारीखई0। वमसौदा दस्तावेज लेखक सदर तहसील आगरा। दस्तावेज हाजा पर चस्पा फोटो की शिनाख्त गवाहान ने की है।